International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

शैक्षिक विकास एवं गाजियाबाद

डॉ0 बबीता सिंह
(असि॰ प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मेवाड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वसुन्धरा, गाजियाबाद)

मनीशिखा सक्सेना
(स्पेशल एजुकेशन टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली)

–सर्वाधिक जन घनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला

–उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला (85**%** साक्षरता दर)

–उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला (81.42**%**)

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसस्कृत एक कुशल मानव संसाधन पर निर्भर करती है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को तेज कर सकते है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। 14 नवम्बर सन् 1976 से पहले गाजियाबाद, मेरठ जिले का एक तहसील हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने प॰ जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती 14 नवम्बर, 1976 को गाजियाबाद के जिला बनाने की घोषणा की। सन् 1864 में 'गाज़ीउद्दीन नगर' से 'गाजियाबाद' बनने के साथ ही इस नगर में रेलवे की शुरूवात हुई। इसी समय–सन् 1864 में सर सईद अहमद खान ने गाजियाबाद में साइनटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जोकि शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई।

गाजियाबाद में स्कूलों की स्थिति

(स्रोत : District Statistical Handbook-2012)

नाम	स्कूलों की संख्या
जूनियर बेसिक स्कूल	1902
सीनियर बेसिक स्कूल	676
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	159
डिग्री कॉलेज	8
यूनिवर्सिटी	**Nil**
आई॰टी॰आई॰	3
पॉलीटेकनिक	7
केन्द्रीय विद्यालय	4
नवोदया विद्यालय	1
इंजीनियरिंग कॉलेज	14

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है जिसमें की पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 57.2% इसी अवधि के दौरान भारत की साक्षरता दर 74.04% है यदि इस दर से गाजियाबाद की साक्षरता दर की 78.07% की तुलना की जाये तो पुरुषों की साक्षरता दर 85.42% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 69.79% थी। पूरे भारत में पुरूषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी।

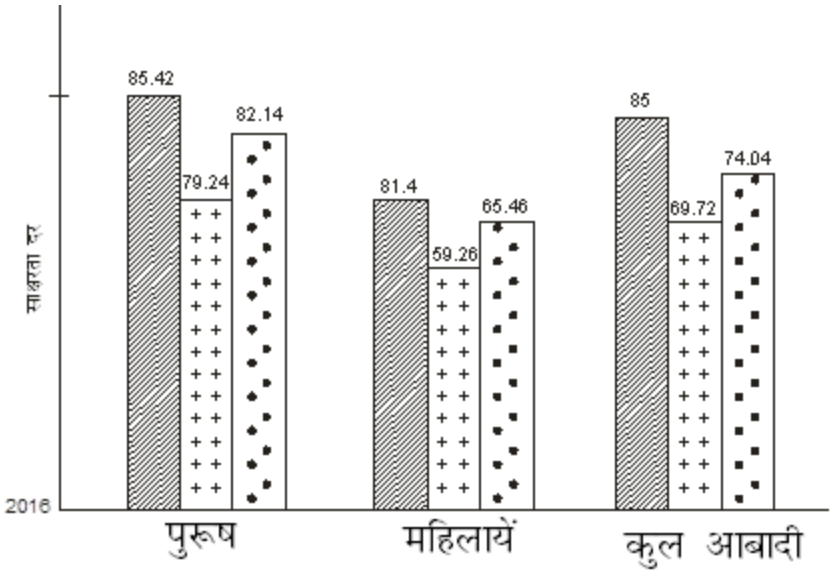

अधिकतम साक्षरता दर केरल की है जोकि 94% है जो कि पूरे भारत की साक्षरता दर से भी अधिक है। तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है जोकि 61.8% है। सेनसस् 2011 के अनुसार गाजियाबाद की कुल जनसंख्या 4,661,452 है। जिसमें पुरुष जनसंख्या 2,481,803 तथा महिलाओं की जनसंख्या 2,179,649 है जनसंख्या में तुलना की जाये तो कुल साक्षर पुरूषों की जनसंख्या 1,811,397 तथा साक्षर महिलाओं की जनसंख्या 1,311,867 है। (स्रोत : वर्ष 2011 सेंसेस)

यू–डाईस डाटा के अनुसार गाजियाबाद जिले में कुल स्कूलों की संख्या है 1,720 अधिकतम साक्षरता दर 85% के साथ उत्तर प्रदेश में अधिकतम महिला साक्षरता दर 81.4% है। वर्ष 2015–16 के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद जनपद में केवल प्राथमिक स्कूलों की संख्या 900 है। तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 365 है। इसी प्राथमिक जिले प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवल 61 ही है। केवल उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या 294 है। उच्च प्राथमिक तथा सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या 71 है। इन आंकड़ों में कुल सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 420 है, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों व प्राथमिक स्कूल केवल 15 है। गाजियाबाद जिले में मदरसों की संख्या केवल 7 है। जोकि मुस्लिम आबादी के अनुपात को देखते हुए काफी कम है। वर्ष 2015–16 के आंकड़ों के अनुसार सभी स्कूलों में नये छात्र–छात्राओं के पंजीकरण कुल 484,714 है। जिसमें की सरकारी स्कूलों में कुल पंजीकरण 10,821 है।

गाजियाबाद जनपद के सभी प्राइमरी स्कूलों में 100% लड़कियों तथा लड़कों के लिये अलग–अलग शौचालय बने हुये हैं। जनपद के सभी प्राइमरी स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था है। दूसरी तरफ अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर एक नजर डाले तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक कुल दिव्यांग लड़कों की संख्या 996 तथा कुल दिव्यांग लड़कियों की संख्या 794 है तथा सरकारी आंकड़ों के अनुसार कक्षा 6 से 8 कुल दिव्यांग लड़कों की संख्या 104 है तथा कुल दिव्यांग लड़कियों की संख्या 115 है। (स्रोत :–**U Dise District Report Card and 2015-16**)

प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख योजनायें– प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के स्तर में सुधार के लिये वर्ष 2002–03 से उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, गाजियाबाद जनपद में भी इस अभियान की शुरूआत की गयी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपदों और उप–जनपदों में प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण व विकास करना व 6 से 14 आयु वर्ग अर्थात् कक्षा 1 से कक्षा 8 के सभी बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, छात्र व छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर (ड्राप आऊट रेट) को कम करना है। साथ–ही–साथ सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में जन समूह की सक्रिय सहभागिता से सामजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है। इस अभियान के अन्तर्गत जिले में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में 94% ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी॰ की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किमी॰ की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी। इस अभियान के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या में तथा स्कूलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चकृत प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत मिश्रित स्कूल बनाये गये।

स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान के लिये जिले में प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। गत पांच वर्षों में आऊट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या में कमी आयी है। स्कूलों में बच्चों के लिये अतिरिक्त सुविधायें सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रदान की गयी जैसे स्कूलों के अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, ओवर हैड टैंक तथा हैण्ड पम्प स्थापित किये गये। स्कूलों में बच्चों के लिये फर्नीचर भी उपलब्ध कराये गये। वार्षिक परिवार सर्वेक्षण के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले तथा दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण किया जाता है तथा उन्हें विद्यालयों में नामांकित कराया जाता है। हर वर्ष जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत ''स्कूल चलो'' अभियान भी चलाया जाता है जिसमें 6–14 आयु वर्ष के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने के लिये व समुदाय को जागरूक व सक्रिय करने के लिये अभियान चलाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011 के अर्न्तगत जिले के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्रा–छात्राओं को दो सेट यूनीफार्म के लिये व्यय राशि तथा सभी छात्र–छात्रों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध करायी जाती है। पठन–पाठन में सहायता हेतु कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्र–छात्राओं की कार्य–पुस्तिकायें भी उपलब्ध करायी जाती है।

अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के भी गाजियाबाद जिले में प्रयास किये गये। डिसट्रिक मजिस्ट्रेट ने लगभग दो दर्जन स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ मीटिग करके अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में इस वर्ग के लिये 25% स्कूल में सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया।

माध्यामिक शिक्षा के अर्न्तगत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग के सभी छात्र–छात्राओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र के लिये तैयार किया जाता है। यही छात्र–छात्रायें भविष्य में देश के आर्थिक विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते है। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में एक सेतू के रूप में कार्य करती है। माध्यमिक शिक्षा में छात्र–छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हेतु सुशिक्षित–चरित्रावान्, सुयोग्य संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान **(RMSA)** के तहत गाजियाबाद में मॉडल स्कूल खोलने की योजना है। इसी योजना के तहत अब तक 10 हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अपडेट कर हाईस्कूल बना दिया गया। मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 12 तक का होगा। तथा इन स्कूलों में कम्प्यूटर और आई॰टी॰आई॰ के वोकेशनल कोर्स भी सिखायें जायेंगे। जिससे की स्कूल के बाद उन्हें रोजगार मिल सके।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत गाजियाबाद जनपद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये रेजीडेशियल स्कूल की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2017–18 से दिव्यांग बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर दिया है। इस स्कूल में दिव्यांग बच्चों के स्कूल की स्थापना की गयी है तथा इन बच्चों के लिये छात्रावास की भी सुविधा है।

माध्यमिक शिक्षा के अर्न्तगत ही चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों जैसे फर्नीचर, जेनरेटर, इण्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि के अतिरिक्त एक कम्प्यूटर अनुदेशक उपलब्ध कराने की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना में व्यवस्था है। जनपद के दसवीं एवं बारहवीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की ओर आकृष्ट करने के साथ नवीन तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्र/छात्राओं के लिए संशोधित लैपटॉप के वितरण की भी व्यवस्था की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में इन छात्र/छात्राओं को लैपटॉप बांटे गये।

क्लीन–स्कूल ग्रीन स्कूल योजना के अर्न्तगत छात्र–छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं स्वच्छता के प्रति सजग किया जाता है। इसी योजना में विद्यालयों का सृदृढ़ीकरण एवं उनका रख–रखाव, खेल के मैदान का विकास, फर्नीचर के साथ तकनीकी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इसी योजना में बेस्ट रिसाइक्लिंग स्कूल की श्रेणी में गाजियाबाद के सालवान स्कूल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूबे के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में इस योजना के तहत् वृक्षारोपण अभियान भी चलाये जाते हैं। तथा स्कूलों को स्वच्छ रखने, कूड़े का सही प्रकार से निस्तारण व रिसाइक्लि करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

किसी भी राष्ट्र, प्रदेश या जनपद के चहुमुखी एवं नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। उच्च शिक्षा के द्वारा ही बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर युवा शक्ति

में परम्परागत नैतिक एवं चारित्रिक गुणों तथा मूल्यों का संवाहक बनकर सुसंस्कृत एवं प्रबुद्ध युवा शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। उच्च शिक्षा से ही आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की सहायता से सामजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असंतुलन को कम करने का प्रयास करके जागरूक एवं राष्ट्र समर्पित नागरिक तैयार किये जा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं। शासन की ओर से बदलते हुए परिवेश में समाज के संतुलित विकास करने के लिए शैक्षिक संस्थानों के गुणात्मक विकास पर बल दिया जा रहा है। ज्यादातर प्राइवेट उच्च शिक्षा गाजियाबाद जनपद में आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित उद्योगों, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं उनसे सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्राविधिक शिक्षा के विकास का निरन्तर प्रयास किया जाता है। प्रदेश तथा जनपद में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश में 151 डिप्लोमा स्तरीय संस्थान तथा 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे। तथा गाजियाबाद जनपद में 1 पॉलीटेकनिक तथा 3 आई॰टी॰आई॰ है व कुल इंजीनियरिंग कॉलेज 14 है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास व ई–लर्निंग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की 7 राजकीय पॉलीटेकनिकों में वेब–पोर्टल के माध्यम से शिक्षण–प्रशिक्षण देने हेतु इन संस्थाओं में वर्चुअल क्लास रूम बनाये गये हैं।

उपसहांर

शिक्षा अपने चारों ओर की चीजों को सीखने की एक प्रक्रिया है। यह हमें किसी भी वस्तु या परिस्थिति को आसानी से समझने, किसी भी तरह की समस्या से निपटने और पूरे जीवन–भर विभिन्न आयामों में सन्तुलन बनाये रखने में मदद करती है। शिक्षा सभी मनुष्यों का सबसे आवश्यक अधिकार है। बिना शिक्षा के हम अधूरे है, और हमारा जीवन बेकार है। शिक्षा हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करने और आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती है। किसी भी देश का विकास और वृद्धि, उस देश के युवाओं के लिये स्कूल और कॉलेजों में निर्धारित की गयी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शिक्षा में बहुत से जागरूकता अभियानों के बाद भी, देश में अभी भी कई ऐसे गाँव है जहाँ रहने वाले लोगों के पास न तो शिक्षा प्राप्ति का कोई उचित संसाधन है और न ही शिक्षा के बारे में कोई जागरूकता ही है। यद्यपि, पहले से कहीं अधिक अब परिस्थितियों में सुधार है और सरकार द्वारा प्रदेश, जनपदों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु बहुत से कदम व परियोजनायें चलायीं जा रही है। उचित उच्च शिक्षा हमारे कैरियर के लक्ष्य को पहचानने में और सभ्य तरीके से रहने में मदद करती है। जीवन में अधिक तकनीकी उन्नति को बढ़ती हुई मांग ने गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया है यह वैज्ञानिकों के शोध कार्यों में, यंत्रों मशीनों तथा आधुनिक जीवन के लिये आवश्यक अन्य तकनीकियों के अविष्कार में सहायता करती है। देश के कई पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आज भी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिये संघर्ष कर रहे हैं। देश में शिक्षा प्रणाली के स्तर को बढ़ावा देने के लिये सभी की सक्रिय भागीदारी को आवश्यकता है। स्कूल और कॉलेज प्राधिकरणों को अपने छात्रों में शिक्षा के लिये रूचि और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिये, शिक्षा के लिये कुछ मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फीस) की बढ़ोत्तरी पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा करनी चाहिये तथा सरकार की तरफ से शिक्षा शुल्क पर नीति निर्धारण करनी चाहिये क्योंकि अधिक शुल्क के कारण बहुत–से मेधावी विधार्थी अपनी शिक्षा को जारी रखने में सक्षम नही होते तथा देश बहुत से होनहार विद्यार्थियों से वंचित रह जाता है। देश में हर क्षेत्र में नागरिकों के लिये

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

अच्छी और उचित शिक्षा प्रणाली को उपलब्ध कराये जाने के सामान्य लक्ष्य को निर्धारित किया जाना चाहिये और शिक्षा प्राप्ति के रास्ते को सुगम व सुलभ बनाये जाने की दिशा में प्रयास किये जाने चाहिये। इस तरह देश अपने चहुँमुखी विकास की और अग्रसर होगा।

संदर्भ

1. सेनसेस 2011 रिपोर्ट।
2. जिला (गाजियाबाद) रिपोर्ट कार्ड 2015–16
3. जिला सेनसेस हैण्डबुक 2011 (उत्तर प्रदेश)
4. बेबसाइट **www.Ghaziabad.nic.in**
5. **Educational Statistics at a Galane, MHRD, Bureau of Planning, Monitoring & Statistics New Delhi 2011, Govt. of India**
6. स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया, 2016, नेशनल यूनीवर्सिटी **(NUEPA),** न्यू दिल्ली।
7. **(ASER 2012-Rural)** एनवल स्टेटस ऑपफ एजुकेशन रिपोर्ट, **Januray, 2013, ASER** सेक्टर, न्यू दिल्ली।
8. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2014–15, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. **Education Status Report- Uttar Pradesh, Elementary Education 2013, Catalyst Management Service (CMS) CEI-India**